

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 28/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जवानाराम हाल सरपंच ग्राम पंचायत देहरी तहसील जायल जिला नागौर।		रामकिशोर पुत्र जिमनाराम जाति जाट निवासी देहरी तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति-

- 1 श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से
- 2 श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994
निर्णय**

दिनांक 18.11.2024

1-प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत देहरी द्वारा पट्टा संख्या 54, मिसल संख्या 02/2021, बुक नम्बर 03, दिनांक 02.08.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.07.2022 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 19.07.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की प्रमाणित फोटोप्रति, मौजा देहरी के खसरा नम्बर 712 और 712/87 संवत् 2073 से 2076 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी ने एसडीओ जायल को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति और मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

2- उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि -

2(1)- हस्तगत पट्टा की भूमि आबादी भूमि न होकर गैर मुमकिन गौचर की भूमि होने से उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)- उक्त पट्टा जारी करवाने के लिए अप्रार्थी ने जब आवेदन पेश किया तो उसने स्वयं ने उक्त भूमि आबादी सीमा में होने का आवेदन में उल्लेख किया व उक्त आवेदन पर ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी की रिपोर्ट मांगी तब अप्रार्थी ने शपथ पत्र देकर यह जाहिर किया कि उस समय पट्टा जारी संगठन के निर्णय के कारण जांच रिपोर्ट नहीं करवा सकी लेकिन उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी में ही होना जाहिर किया व इसकी तमाम जिम्मेवारी स्वयं ने ली थी इसलिए ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के शपथ पत्र पर भरोसा किया फिर भी ग्राम पंचायत ने अपने वार्ड पंचों से मौका निरीक्षण करवाया जिस पर वार्ड पंचों ने मौका निरीक्षण किया लेकिन चूंकि आबादी भूमि के चिपती ही गौचर व अन्य खातेदारी की भूमियां स्थित होने व उस समय पट्टा जारी संगठन के निर्णय अनुसार पट्टा जारी हल्का से नाप चोप नहीं हो सकने के कारण मौका निरीक्षण रिपोर्ट अवश्य बनाई लेकिन साथ ही यह भी जाहिर किया व नोट दर्ज किया कि भूमि की किस्म संबंधी समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी आवेदनकर्ता की होगी, इस कारण ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी कर दिया लेकिन बाद में भू अभिलेख निरीक्षकगण व पट्टा जारी की टीम से नाप चोप रिपोर्ट हुई उसमें उक्त भूमि गौचर की भूमि में पाई गयी है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त जारी पट्टा को निरस्त करवाया जाना आवश्यक है।

2(3)- पट्टा आवेदनकर्ता ने भी यह शपथ पूर्वक घोषणा कर रखी है कि उक्त पट्टा जारी होने वाली भूमि आबादी भूमि में ही है तथा भूमि संबंधी कोई शिकायत होगी तो उसकी तमाम जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की रहेगी, चूंकि बाद में भूमि संबंधी शिकायत होकर सीमांकन हो चुका है व भूमि आबादी की नहीं होना पाया गया है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी भी अपनी स्वीकारोक्ति व शपथपूर्वक किये गये कथनों से पाबंद है व उक्त अनुसार पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)-चूंकि तहसीलदार जायल के आदेशानुसार टीम द्वारा नाप चोप होकर स्पष्ट हो चुका है कि कथित पट्टा जारी की भूमि आबादी भूमि नहीं होकर गैर मुमकिन गौचर की है ऐसी स्थिति में ऐसी भूमियों के संबंध में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

18/11/24
अपर कलक्टर, नागौर

2(5)- पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने सारी सावधानी बरती थी लेकिन उस समय उपरोक्त परिस्थितियों के कारण पट्टवारी से नाप चोप होना संभव नहीं होने से भविष्य में किसी प्रकार की उजर आपति नहीं हो इस हेतु आवेदनकर्ता से शपथ पत्र भी लिया गया व शर्तों के अधीन ही पट्टा जारी हुआ था लेकिन बाद में भूमि आबादी में नहीं पाई गयी व राजस्व टीम की ऐसी रिपोर्ट बाद जांच पेश हुई है जिससे उक्त पट्टा विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है व ग्राम पंचायत ने इस संबंध में प्रस्ताव में भी अंकन कर रखा है व आवेदनकर्ता से शपथ पत्र भी ले रखा है इस कारण ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा निरस्त करवाने का अधिकार होने से यह निगरानी ग्राम पंचायत ने प्रस्तुत की तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2021 (1) पेज 578 से 583 नजीर पेश की।

3- वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूरी पालना की है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर पंचो की समिति गठित कर मौका निरीक्षण करवा कर विधिवत आपति नोटिस सूचना चस्पा करके व किसी प्रकार की आपति नहीं आने पर नियमानुसार पट्टा जारी किया था। निगरानीकर्ता ने विधि सम्मत पट्टे को नियम व विधि विरुद्ध होने के मिथ्या अभिवचन दर्ज किये हैं। मौका रिपोर्ट दिनांक 06.05.2022 अप्रार्थी की अनुपस्थिति में बनाई गई है। अप्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी जायल को सीमाज्ञान हेतु दिनांक 16.05.2022 को आवेदन किया परन्तु उक्त खसरो के आस पास फसल होने से सीमाज्ञान किया जाना संभव नहीं हो सका। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि पर ही जारी किया है। उक्त पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में सिविल कोर्ट केसेज 2008 (4) पेज 386 से 389, सिविल कोर्ट केसेज 2000 (3) पेज 352 से 353, सिविल कोर्ट केसेज 2004 (1) पेज 456 से 464, एआईआर पेज 32 से 34 तक नजीरे पेश की।

4- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत ढेहरी द्वारा पट्टा संख्या 54, मिसल संख्या 02/2021, बुक नम्बर 03, दिनांक 02.08.2021, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार जायल के आदेश क्रमांक/राजस्व/2022/94 दिनांक 26.04.2022 द्वारा गठित टीम द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 06.05.2022 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा आबादी भूमि पर जारी नहीं करके गैर मु. गौचर पर जारी किया है। अप्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे यह ज्ञात हो कि उक्त पट्टा आबादी भूमि पर जारी किया गया हो? ग्राम पंचायत को केवल ग्राम पंचायत में निहित आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, जबकि ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पट्टा जारी किया है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ढेहरी द्वारा अप्रार्थी के हक में जारी पट्टा संख्या 54 दिनांक 02.08.2021 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

6- निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/11/24
(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर